उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 121/2011-12

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर० पी० केस नं०–75/2002–03 में दिनांक 21.02.2012 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी – (1) श्री राम दास बेसरा, पिता–स्व० बड़ा कोंदा संथाल, (2) श्री पिलचु बेसरा, पिता–स्व० मेसरो बेसरा ग्राम–हुरलुंग, थाना–बिरसानगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

(iii) प्रतिवादी – (1) मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर, (2) मेसर्स टाटा मोटर्स, जमशेदपुर।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्नप्रकार है:–
सर्वे 1910 के अनुसार मौजा–नीलडीह, थाना नं०–1197, खाता नं०–20, प्लॉट नं०–359, 361, 363, 364, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 387 रकवा–05.18 एकड़। सर्वे 1934–37 के अनुसार खाता नं०–38, प्लॉट नं०–5423, 5424, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475 रकवा–7.13 डी०। हाल सर्वे 1989–90 के अनुसार खाता नं०–1, मौजा– नीलडीह, थाना नं०–1197, प्लॉट नं०–2858, 2911, 2927, 2935, 2847, 2851, 2601, 2602, 2922, 2938, 2909, 2915, 2912, 2919 कुल रकवा–1 एकड़, 49 डी०, 20 हेक्टर।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 28.03.2012 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-75/2002-03 में दिनांक 21.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी (1) श्री राम दास बेसरा, पिता–स्व० बड़ा कोंदा संथाल, (2) श्री पिलचु बेसरा, पिता–स्व० मेसरो बेसरा ग्राम–हुरलुंग, थाना–बिरसानगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम द्वारा दाखिल किया गया है।

2. प्रतिवदी कमांक–(2) मेसर्स टाटा मोटर्स, जमशेदपुर के द्वारा दिनांक 26.09.2013 को अपील आवेदन के विरूद्ध दाखिल rejoinder का अवलोकन किया।

3. प्रतिवादी कमांक–(1) मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर के द्वारा दिनांक 26.09.2013 को अपील आवेदन के विरूद्ध दाखिल rejoinder का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी श्री राम दास बेसरा एवं अन्य के द्वारा प्रतिवादी कमांक (1) मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर एवं (2) मेसर्स टाटा मोटर्स, जमशेदपुर के rejoinder petition के विरूद्ध दिनांक 30.10.2013 को दाखिल Replication का अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी श्री राम दास बेसरा एवं अन्य के द्वारा दिनांक 24.07.2014

24/8/16

को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

6. निम्न न्यायालय अभिलेख में आवेदक/अपीलार्थी श्री राम दास बेसरा एवं अन्य के द्वारा विवादित भूमि का restoration of possession के लिए दिनांक 05.02.2003 एवं 22.02.2003 को दाखिल आवेदन पत्रों का अवलोकन किया।

7. निम्न न्यायालय अभिलेख में आवेदक/अपीलार्थी श्री राम दास बेसरा एवं अन्य के द्वारा दिनांक 07.10.2010 को AplicationU/O XXII Rule 2, U/O 1 Rule 10(2) read with section 151 C.P.C के तहत दाखिल आवेदन का अवलोकन किया।

8. निम्न न्यायालय में विपक्षी/प्रतिवादी कमांक-(2) मेसर्स टाटा मोटर्स, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 27.12.2004 को समर्पित दाखिल आवेदन का अवलोकन किया।

9. निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक 1961, दिनांक 28.08.2009 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

10. निम्न न्यायालय अभिलेख में विपक्षी/प्रतिवादी टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा दिनांक 21.04.2011 को समर्पित कारण-पृच्छा का अवलोकन किया।

11. निम्न न्यायालय में अपीलार्थी/आवेदक श्री राम दास बेसरा एवं अन्य के द्वारा विपक्षी/प्रतिवादी टाटा स्टील लिमिटेड के दिनांक 21.04.2011 का कारण-पृच्छा के विरूद्ध दिनांक 18.05.2011 का दाखिल Replication का अवलोकन किया।

12. निम्न न्यायालय में आवेदक/अपीलार्थी श्री राम दास बेसरा एवं अन्य द्वारा दिनांक 18.07.2011 एवं 25.08.2011 को दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

13. निम्न न्यायालय आवेदक/अपीलार्थी श्री राम दास बेसरा एवं अन्य द्वारा दिनांक 05.09.2011 को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

14. निम्न न्यायालय में विपक्षी/प्रतिवादी टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा दिनांक 22.11.2011 को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

15. निम्न न्यायालय में विपक्षी/प्रतिवादी टाटा स्टील लिमिटेड एवं टाटा मोटर्स लि0 के द्वारा दिनांक 30.11.2011 को दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

16. निम्न न्यायालय में विपक्षी/प्रतिवादी टाटा मोटर्स एवं टाटा स्टील लि0 के द्वारा दिनांक 30.11.2011 को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

17. निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.02.2012 को भू वापसी वाद संख्या 75/2002-03 में पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है कि "आवेदक एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार मौजा - नीलडीह, खाता नं0 -1 के अन्तर्गत प्लॉट नं0-2858, 2911, 2927, 2935, 2847, 2851, 2601, 2602, 2922, 2938, 2909, 2915, 2912, 2919 कुल रकवा- 2.91.35 हे0 अनावाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। सभी प्लॉटों के कैफियत कॉलम में टिस्को लीज दिनांक 1.1.

1956 से एवं सव लीज टेल्को अंकित है। दिनांक 20.08.2005 को झारखण्ड सरकार एवं टाटा स्टील कम्पनी के बीच की गई समझौता में नवीकृत लीज डीड में हाल सर्वे के सभी प्लॉट सन्निहित है। छो0का0अधि0 1908 के अन्तर्गत धारा–84 (3) के अनुसार Record of right is finally published it shall be a conclusive evidence that the record has been duly made according to law इस वाद के प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। तथा भूमि प्लॉटों के कैफियत कॉलम में टिस्को लीज दिनांक 1.1.1956 से एवं सव लीज टेल्को अंकित है। दिनांक 20.08.2005 को सम्पादित नवीकृत लीज डीड में हाल सर्वे सभी प्लॉट सन्निहित है। खतियान की प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन छो0का0अधि0 की धारा 71 ए0 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है। तदनुसार इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।''

18. सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि हाल सर्वे खतियान में अनाबद बिहार सरकार के नाम पर संधारित है एवं कैफियत कॉलम में 01.01.1956 से सबलीज टेल्को अंकित है।

19. एस0ए0आर0 अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश, जाँच प्रतिवेदन, कारण–पृच्छा, सम्पूर्ण अभिलेख उसमें उपलब्ध कागजातों संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है :–

(i) Record of Right के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–84 (1), (2) एवं (3) में यह प्रावधानित है, कि (1) "In any suit or other proceedings in which a record-of-rights prepared and published under this Chapter or a duly certified copy thereof or extract therefrom is produced, such record-of-rights shall be presumed to have been finally published unless such publication is expressly denied and a certificate, signed by the Revenue Officer, or by the deputy commissioner of any district in which its local area, estate or tenure or part thereof to which the record-of-rights relates is wholly or partly situate, stating that the record-of-rights has been finally published, under this Chapter shall be conclusive evidence of such publication. (2) The [State] Government may, by notification, declare with regard to any specified area, that a record-of-rights has been finally published for every village included in that area; and such notification shall be conclusive evidence of such publication. (3) Every entry in a record-of-rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct until it is proved, by evidence, to be incorrect."

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 84 में प्रावधानित नियम से स्पष्ट है कि Record of right हाल सर्वे खतियान के अनुसार निर्धारित होता है। इस मामला में प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है एवं अभियुक्ति कॉलम में (1) टिस्को लीज (2) सब लीज टेल्को दर्ज है, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की

24/5/16

	भूमि नहीं है। इन तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा R.P. Case No.-75/2002-03 में दिनांक 21.02.2012 को पारित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है, इसे यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 24.05.2016 को पारित किया जा रहा है। लेखापित एवं संशोधित 24/5/16 उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 24/5/16 उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	